संख्या-69/2018/2658 ई-2/तेरह-2018-04/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 08 अगस्त,2018

विषय:- जनपद लखनऊ के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-1315/जि0आ0अ0/बार-अनु0/2018-19/लखनऊ/ 2018-19, दिनांक 30 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 22-6-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-75/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/स्काट एण्ड ए बैरेल रेस्टोरेन्ट/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई,2018 तथा पत्र संख्या-जी-82/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/म्यूनिक बिस्ट्रो/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त (1) म्यूनिक बिस्ट्रो एण्ड बार (ए यूनिट आफ एलाइट हास्पीटैलिटी), शाप नं0-27 व 31, रोहतास प्रेसीडेंसिल आर्केड, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को वर्ष 2018-19 के लिये एफ0एल0-7 अनुज्ञापन तथा (2) स्काट एण्ड ए बैरेल रेस्टोरेन्ट (ए यूनिट आफ बरकत हास्पीटैलिटी एल0एल0पी0) भूतल साइबर हाइट्स बिल्डिंग, विभूतिखण्ड, लखनऊ को वर्ष 2018-19 के लिये एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन व वैले पार्किंग की भी व्यवस्था करेंगे, अग्निशमन यन्त्र का पूर्णरूपेण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पालन किया जाएगा, सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था की जाएगी।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

संख्या-69/2018/2658(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-75/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/स्काट एण्ड ए बैरेल रेस्टोरेन्ट/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई,2018 तथा पत्र संख्या-जी-82/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/म्यूनिक बिस्ट्रो/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।